सेवा में,

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

विषयः—शिवशांति होम स्टे में पंजीकृत कक्षों में वृद्धि करते हुए 06 कक्षों का पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निवेदन इस प्रकार है कि दुग्गल विला रोड, गांधी चौक में मेरे द्वारा शिवशांति होम स्टे के नाम से अपने आवासीय भवन के 03 कमरो को पंजीकृत करवाया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त आवसीय भवन/परिसम्पत्ति मुझे पारिवारिक प्राप्त हुई है, तथा उक्त आवासीय भवन के अतिरिक्त 03 कमरे जोकि मेरे सगे भाई श्री संदीप गोयल के स्वामित्व में हैं, उनके द्वारा मुझे पंजीकृत मुख्तारनामा के द्वारा प्रदान किये गये हैं। वर्तमान में उक्त भवन के अतिरिक्त 03 कमरो को सम्मिलित करते हुए कुल 06 कमरो को प्रार्थी अपने नाम से पंजीकृत कराने का इच्छुक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शिवशांति होम स्टे के 06 कमरो को पंजीकृत करने की कृपा करें। मुख्तारनामे की प्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

प्रार्थी

Sachin Goel

(सचिन गोयल)
पुत्र स्व0 श्री चन्द्रभान गोयल
दुग्गल विला रोड, गांधी चौक

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK07482925543904T
Certificate Issued Date	:	13-Jan-2021 01:47 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1201304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120130418386623309499T
Purchased by	:	SANDEEP GOEL
Description of Document	:	Article 48 Power of Attorney
Property Description	:	N A
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SANDEEP GOEL
Second Party	:	SACHIN GOEL
Stamp Duty Paid By	:	SANDEEP GOEL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Incl.No.............
UMESH GUPTA
STAMP VENDOR
DEHRADUN

------------Please write or type below this line------------

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.1-9(03)20..
GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
NOTARIAL

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

मुख्तारनामा आम (खण्डनीय)

मै कि श्री संदीप गोयल पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान गोयल, निवासी– शान्ति निवास हैप्पीवैली, मसूरी जिला–देहरादून।

Adhar No.323542880517

मुख्तारकर्ता

श्री सचिन गोयल पुत्र स्व. श्री चन्द्रभाग गोयल, निवासी– दुग्गलविला रोड, गांधी चौक, मसूरी जिला–देहरादून।

मुख्तारग्रहिता

फोटो

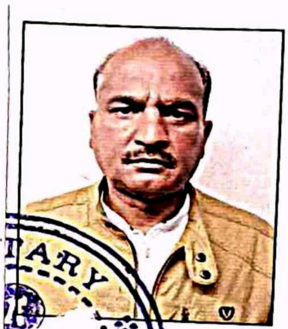

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

मुख्तारकर्ता

दिनांक 12–1–2021

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

मुख्तारनामा आम (खण्डनीय)

यह मुख्तारनामा आज आज दिनांक 12–01–2021 को स्थान मसूरी जिला– देहरादून में श्री संदीप गोयल पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान गोयल, निवासी– शान्ति निवास हैप्पीवैली,मसूरी जिला–देहरादून,जिन्हें इस मुख्तारनामा आम में मुख्तारकर्ता/निष्पादक कहकर सम्बोंधित किया गया है,

मुख्तारकर्ता

द्वारा अपने विश्वासपात्र छोटे भाई

श्री सचिन गोयल पुत्र स्व. श्री चन्द्रभाग गोयल, निवासी– दुग्गलविला रोड, गांधी चौक,मसूरी जिला–देहरादून, जिन्हें इस मुख्तारनामा आम में मुख्तारग्रहिता कहकर सम्बोंधित किया गया है,

मुख्तारग्रहिता

के पक्ष में अंकित, निष्पादित एवं हस्ताक्षरित किया गया है।

यह कि सम्पत्ति भाग इल्वर्ट लॉज जो कि अब दुग्गल विला इस्टेट के नाम से जारी जाती है, मुख्तारकर्ता व मुख्तारग्रहिता के पिता स्वामित्व में थी, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई वसीयत के आधार पर मुख्तारकर्ता एवं मुख्यतारग्रहिता के आधे– आधे स्वामित्व में आई है।

यह कि मुझ मुख्तारकर्ता के हिस्से में उपरोक्त सम्पत्ति का आधा हिस्सा आया है, उपरोक्त सम्पत्ति उपरोक्त सम्पत्ति में मेरा छोटा भाई मुख्तारग्रहिता सपरिवार निवास कर रहा है इसलिये मै अपने स्वामित्व की उपरोक्त सम्पत्ति के तीन कमरो की उचित देखभाल करने, प्रबंध–संचालन करने, रख–रखाव आदि करने एवं उपरोक्त तीन कमरो को किराये पर देने, होम स्टे का लाईसेंस लेने, आदि कार्यो हेतु मै मुख्तारकर्ता अपने छोटे भाई को अपना मुख्तारेआम नियुक्त व

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

मनोनीत करता हूँ तथा उन्हें निम्नलिखित अधिकार व शक्तियां प्रदान करता हूँ :—

1:— यह कि मुख्तारेआम को अधिकार होगा कि वह अपने नाम से होम स्टे का लाईसेंस लें, सम्पत्ति को किराये पर चढ़ाये व उचित प्रकार से देखभाल, प्रबंध,संचालन करे, रखरखाव करें, उक्त सम्पत्तियों से सम्बंधित अभिलेखों में टैक्स जमा कराये, किराया जमा कराये, किराया प्राप्त करे, रसीदें प्राप्त करें, वाद—विवाद होने की दशा में वकील नियुक्त करें, मेरी ओर से नोटिस जारी करावे, किसी भी न्यायालय—कार्यालय,अधिकारी, प्राधिकारी आदि के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र आदि मेरी ओर से प्रस्तुत करें, बयान दें, गवाहों से जिरह करे, प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करें, सम्मन नोटिस प्राप्त करें, वाद का प्रतिवाद योजित करें, नक्शा पास कराये, कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्तारग्रहिता वह समस्त कार्यवाही अपने हस्ताक्षरों से मेरी उपरोक्त वर्णित की बावत करे जो इस विलीख में अंकित होने से रह गई हो। मै वचन देता हूँ कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के सम्बंन्ध में मेरे मुख्तारग्रहिता द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मेरे द्वारा किया गया माना व समझा जायेगा।

<u>सम्पत्ति का विवरण</u>

सम्पत्ति भाग आवासीय परिसर इल्वर्ट इस्टेट, दुग्गलविला रोड,

लायब्रेरी मसूरी।

अतः यह मुख्तारनामा आम आज दिनांक 12—1—2021 को स्थानर मसूरी में गवाहो के समक्ष बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ चित्त होकर तथा स्वेच्छा से अंकित हसताक्षरित कर दिया गया है कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवै।

मुख्तारकर्ता

<u>रजिस्ट्रेशनन अधिनियम 1908 की धारा 32—ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस</u>

<u>मुख्तारकर्ता का नाम व पता :—</u>

श्री संदीप गोयल पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान गोयल, निवासी— शान्ति निवास हैप्पीवैली, मसूरी जिला—देहरादून।

बायें हाथ **(Left Hand)** की अंगुलियों के चिन्हः—

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अगुष्ठ

दाये हाथ(Right Hand) की अंगुलियों के चिन्हः–

अगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

निष्पादक / संदीप गोयल

साक्षीगण

1. Atin (Atin)

2. (Shalabh)

ATTESTED
(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

III- 10/2016

<u>वसीयतनामा (इच्छापत्र)</u>

यह वसीयतनामा आज दिनॉक 20–10–2016 को स्थान मसूरी, जिला देहरादून में निष्पादित की जा रही है।

मैं, चन्द्रभान गोयल पुत्र श्री शिवधन राम, निवासी–गोयल सदन, दुग्गल विला रोड़ मसूरी, जनपद देहरादून का हूं।

मैं वर्तमान में स्वस्थ्य मन–चित का हूं तथा अपना भला–बुरा अच्छी तरह समझता हूं, जीवन का पता नहीं कब अचानक मेरे साथ अनहोनी हो सकती है। मुझे एक सम्पत्ति जो कि शान्ति निवास, हैप्पीवैली, मसूरी, जनपद देहरादून मे स्थित है, जिसका कुल रकबा 0.30 एकड़ है जिसमें एक भवन निर्मित है। जिसका आधा भाग मुझे अपने पिता से वसीयत से प्राप्त हुआ है। उक्त सम्पत्ति को मैं अपने दोनों पुत्र सन्दीप गोयल तथा सचिन गोयल के नाम संलग्न मानचित्र **"A"** अनुसार बसीयत कर रहा हूं। जिसकी सीमायें लाल, नीले एवं पीले रंग से रेखांकित है। लाल रंग की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 1430 वर्गफीट) सचिन गोयल के नाम कर रहा हूं तथा नीले रंगी की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 1481 वर्गफीट) अपने दूसरे पुत्र संदीप गोयल के नाम वसीयत कर रहा हूं, पीले रंग की सम्पत्ति पर मेरे दोनों ही पुत्रों का समान अधिकार होगा। जिनको दोनों पुत्र संयुक्त रूपसे प्रयोग में लायेंगे तथा पीले रंग की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे।

इसके अलावा एक सम्पत्ति जिसमें वर्तमान में मेरा परिवार निवास कर रहा हैं जो भाग इलेवर्ट लॉज है, जो अब दुग्गल विला इस्टेट, के नाम से जानी जाती है तथा सम्पत्ति लाईब्रेरी मसूरी जनपद देहरादून मे स्थित है जो वर्तमान में

 Chandrabhan Goyal

गोयल सदन, के नाम से जानी जाती है, श्रीमती शान्ति गोयल द्वारा पूर्व में पंजीकृत बैनामा बही संख्या 1, जिल्द 1931, पृष्ठ 71/73 एडीशनल बुक न0 1, जिल्द 1931, पृष्ठ 305/306 दस्तावेज संख्या 4666 दिनॉक 27–07–1982 कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून से कय की है जिसका रकबा 1505 वर्गमीटर है तथा जिसमें एक तीन मंजिला भवन निर्मित है का अधा भाग जो मुझे मेरी माता से वसीयत दिनॉक 29–04–1995 बही संख्या 3, जिल्द संख्या 1, पृष्ठ 88 से 90 दस्तावेज संख्या 2/95 दिनॉक 06–05–1995 सब रजिस्ट्रार मसूरी से प्राप्त हुयी है तथा वर्तमान में हम दोनों भाईयों के मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार जो सम्पत्ति मेरे पूर्ण स्वामित्व, अध्यासन, व कब्जे में है, उक्त सम्पत्ति को मैं अपने दोनों पुत्र सन्दीप गोयल तथा सचिन गोयल के नाम संलग्न मानचित्र **"B"** अनुसार बसीयत कर रहा हूं। जिसकी सीमायें लाल, नीले एवं पीले रंग से रेखांकित है। लाल रंग की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 138.45 वर्गमीटर तथा खुली भूमि 279.55 वर्गमीटर) सचिन गोयल के नाम वसीयत कर रहा हूं तथा नीले रंगी की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 138.45 वर्गमीटर तथा खुली भूमि 279.55 वर्गमीटर) अपने दूसरे पुत्र संदीप गोयल के नाम वसीयत कर रहा हूं, पीले रंग की सम्पत्ति पर मेरे दोनों ही पुत्रों का समान अधिकार होगा। पीले रंग की सम्पत्ति दोनों पुत्र प्रयोग में लायेंगे तथा पीले रंग की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा। उक्त सम्पत्तियों के मेरे दोनों पुत्र (संलग्न मानचित्रों के अनुसार) एक मात्र स्वामी होंगे, अन्य कोई साझीदार या हिस्सेदार नहीं होगा। उक्त दोनों पुत्रों के अलावा मेरी तीन पुत्रियॉं हैं-जिनका मेरे द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका विवाह अच्छे परिवार में कर दिया है जो अपने परिवार के साथ सुख सम्पन्न हैं।

 Chandra Bose

मेरे द्वारा यह वसीयत लिख दी गई है ताकि भविष्य में मेरी उक्त सम्पत्तियों के बावत किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न न हो तथा मेरी इस वसीयत का सम्मान हो।

निष्पादनकर्ता का नाम व पता– चन्द्रभान गोयल पुत्र श्री शिवधन राम, निवासी–गोयल सदन, दुग्गल विला रोड़, लाईब्रेरी, मसूरी, जनपद देहरादून।

बॉये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

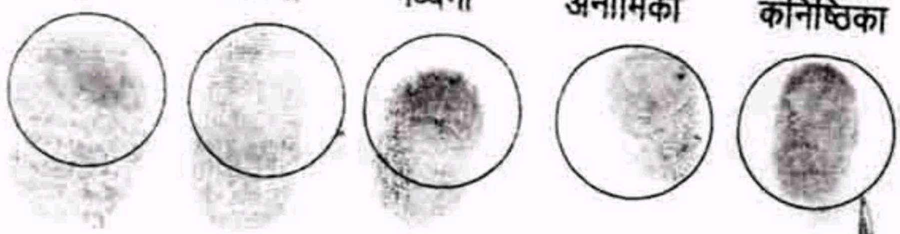

पहचान श्री मुकेश कुमार
पुत्र श्री बनारसी दास
निवासी कालास्कूल गेटमसूरी
व श्री विनोदकुमार
पुत्र श्री सोहनलाल
निवासी स्टूडियो लाज कुलडी मसूरी
ने की।

ह० निबन्धक
मसूरी तेजा

Chandra Bhanu

Vinod Singh

निष्पादनकर्ता का निशान लिया गया
साक्षी परिचित है निशान से मुक्त किया।

ह० निबन्धक
मसूरी तेजा

3108/08 - III

वसीयतनामा

रजिस्ट्रेशन शुल्क 100=00 मिलान 10=00 योग 110=00
शब्द लगभग 1000

श्री चन्द्रभान गोयल
पुत्र श्री शिवधनराम
निवासी गोपाल सदन दुग्गलविला रोड लायब्रेरी मसूरी
ने आज दिनांक 22-10-2008 को
समय करीब 12 से 01 बजे
कार्यालय उप निबन्धक मसूरी
देहरादून में पेश की

उप निबन्धक
मसूरी देहरादून

Chandra Bhan Goyal

इस लेख पत्र का निष्पादन
विक्रय धन रु० मु० ....
मैं से रु० .... मेरे समक्ष
प्राप्त करके उक्त श्री चन्द्रभान
.... गोयल ....
ने स्वीकार किया।

निष्पादनकर्ता

यह वसीयत मेरे द्वारा उक्त तिथि, मास व वर्ष को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष निष्पादित तथा हस्ताक्षरित की तथा गवाहों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आये।

हस्ताक्षर गवाहान–

1–
(मुकेश कुमार)
पुत्र श्री बनारसी दास,
निवासी–कालास्कूल गेट,
मसूरी।
वोटर आई0डी0 UP/01/423/060466

2–
(विनोद)
पुत्र श्री सोहनलाल,
निवासी–स्टूडियो लॉज,
कुलड़ी, मसूरी।
वोटर आई0डी0 UP/01/423/042402

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45–गांधी रोड, देहरादून

पत्रांक: 1793/2–8–4(4)/2018–19 दिनांक: 26 फरवरी 2019

श्रीमती शांति गोयल पत्नी स्व0 श्री चन्द्रभान गोयल
दुग्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी, मसूरी
जनपद–देहरादून।
दूरभाष:–0135–2631446 मो0न0: 9837150565

विषय :– **अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत शिव शांति होम स्टे का संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रेषण।**

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा अपने पति श्री चन्द्रभान गोयल के आकस्मिक निधन के दृष्टिगत अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पूर्व में पंजीकृत **शिव शांति होम स्टे**, दुग्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी, मसूरी, जनपद–देहरादून का पंजीकरण अपने नाम पर हस्तांतरित करने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत किये गये प्राविधानो के अनुरुप होम स्टे का संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:–उक्तवत संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(के0 एस0 रावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

उत्तराखण्ड पर्यटन

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45–गांधी रोड, देहरादून

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्रः–

एतद्दारा राज्य शासन की अधिसूचना संख्या–4041/2–7–129/2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली–2015 (प्रथम संशोधन नियमावली–2016) एवं 4154/2–7–129/2017 दि0 09 मार्च 2017 के अन्तर्गत विहित शर्तों व नियमों के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार उल्लिखित होम स्टे को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से **दो वर्ष तक की अवधि के लिए (दि0 09 जुलाई 2020 तक)** संचालन की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1– संस्तुत श्रेणी : सिल्वर (शहरी क्षेत्रान्तर्गत)

2– पंजीयन संख्या : हो0स्टे–2018/103

3– भवन व भवन स्वामी का नाम व पूरा पता : **शिव शांति होम स्टे**
श्री चन्द्रभान गोयल पुत्र स्व0 श्री शिवधन राम गोयल
दुग्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी मसूरी, जनपद–देहरादून।
दूरभाष संख्या/मो0नं0 : 0135–2631446, 9837150565

4– व्यवसाय : बिजनस

5– पंजीकृत कक्ष
(क)दो शैय्या वाले कक्ष : 03 प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्तुत अधिकतम दर : ₹ 1600/–
(ख)फैमिली सूट/4 शैयया कक्ष : – प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्तुत अधिकतम दर : ₹ –
कुल पंजीकृत कक्ष : 03 कुल पंजीकृत शैय्यायें : 06

6– **भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध/भवन स्वामी के उत्तरदायित्वः–**

I. भवन स्वामी होटल की भांति आवास मे स्वागत पटल (रिसेप्शन काउन्टर) नही लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रहेगा।

II. भवन स्वामी कोई ऐंसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

III. इकाई के विषय मे भ्रामक सूचनायें प्रचलित नही करेगा तथा किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नही होगा।

IV. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर अनिवार्य रुप से बडे व स्पष्ट अक्षरों मे प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

V. विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना फार्म–सी पर तत्काल शहरी क्षेत्रो में जोकि पुलिस के नियंत्रणाधीन हों की दशा में स्थानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

VI. आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें निर्धारित प्रारुप के अनुसार सूचना अंकित करनी होगी। गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है, यदि कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनः पंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। भवन स्वामी द्वारा आगन्तुक पंजिका एवं बिल बुक/कैश रसीद का सत्यापन क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय देहरादून से कराना अनिवार्य होगा।

VII. आने वाले पर्यटकों की पर्यटक सांख्यिकी निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

VIII. कमरों/प्रसाधन कक्षों की उचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं उनका रख–रखाव उत्तम स्तर का होने के साथ अग्निशमन सुरक्षा उपकरणो से संरक्षित करना अनिवार्य होगा।

IX. पंजीकृत इकाई का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समस्त अभिलेख मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। रख–रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रदद किया जा सकता है।

X. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XI. यदि भवन स्वामी द्वारा दी जा रही सुविधाओं मे किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना 30 दिन के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

XII. भवन स्वामी द्वारा पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन की अवधि पूर्ण होने पर यह पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका अग्रेत्तर संचालन पूर्णतया अवैध होगा।

XIII. पंजीकृत किये गये कक्षों से अधिक कक्षों का संचालन किये जाने तथा संस्तुत की गयी दैनिक किराये की दर से अधिक किराया वसूल किये जाने की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XIII. समस्त सुसंगत नियम/अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियम विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पंजीयन की स्थिति में किसी शिकायत अथवा वाद की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XIV. योजनान्तर्गत पंजीकरण से सम्पत्ति के स्वामित्व का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XV. पुलिस वैरीफिकेशन के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

XVI. योजना के प्रदर्शित किये जाने वाले साइनबोर्ड पर होम स्टे लिखना अनिवार्य होगा।

दिनांकः 10 जुलाई 2018

(के0 एस0 रावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

उत्तराखण्ड पर्यटन

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45—गांधी रोड, देहरादून

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

के अन्तर्गत संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र:—

एतद्दारा राज्य शासन की अधिसूचना संख्या—4041/2—7—129/2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा अतिथि—उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली—2015 (प्रथम संशोधन नियमावली—2016) एवं 4154/2—7—129/2017 दि0 09 मार्च 2017 के अन्तर्गत विहित शर्तों व नियमों के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार उल्लिखित होम स्टे के पूर्व पंजीकरण को संशोधित करते हुए **दि0 09 जुलाई 2020 तक** संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1—	संस्तुत श्रेणी	: सिल्वर (शहरी क्षेत्रान्तर्गत)		
2—	पंजीयन संख्या	: हों0स्टे—2018/103		
3—	भवन व भवन स्वामी	: **शिव शांति होम स्टे**		
	का नाम	श्रीमती शांति गोयल पत्नी स्व0 श्री चन्द्रभान गोयल		
	व पूरा पता	दुग्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी मसूरी, जनपद—देहरादून।		
	दूरभाष संख्या/मो0नं0	: 0135—2631446, 9837150565		
4—	व्यवसाय	: बिजनस		
5—	पंजीकृत कक्ष			
	(क)दो शैय्या वाले कक्ष	: 03	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्तुत अधिकतम दर	: ₹ 1600/—
	(ख)फैमिली सूट/4 शैयया कक्ष	: —	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्तुत अधिकतम दर	: ₹ —
	कुल पंजीकृत कक्ष	: 03	कुल पंजीकृत शैय्यायें	: 06

6— **भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध/भवन स्वामी के उत्तदायित्वः—**

I. भवन स्वामी होटल की भांति आवास मे स्वागत पटल (रिसेप्शन काउन्टर) नही लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रहेगा।

II. भवन स्वामी कोई ऐंसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही करेगा जिससे आस—पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

III. इकाई के विषय मे भ्रामक सूचनायें प्रचलित नही करेगा तथा किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नही होगा।

IV. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर अनिवार्य रुप से बडे व स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

V. विदेशी पर्यटको के आवास की सूचना फार्म—सी पर तत्काल शहरी क्षेत्रो मे जोकि पुलिस के नियंत्रणाधीन हों की दशा में स्थानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

VI. आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें निर्धारित प्रारुप के अनुसार सूचना अंकित करनी होगी। गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है, यदि कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनः पंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। भवन स्वामी द्वारा आगन्तुक पंजिका एवं बिल बुक/कैश रसीद का सत्यापन क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय देहरादून से कराना अनिवार्य होगा।

VII. आने वाले पर्यटकों की पर्यटक सांख्यिकी निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

VIII. कमरों/प्रसाधन कक्षों की उचित साफ—सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं उनका रख—रखाव उत्तम स्तर का होने के साथ अग्निशमन सुरक्षा उपकरणो से संरक्षित करना अनिवार्य होगा।

IX. पंजीकृत इकाई का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समस्त अभिलेख मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। रख—रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

X. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XI. यदि भवन स्वामी द्वारा दी जा रही सुविधाओं मे किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना 30 दिन के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

II. भवन स्वामी द्वारा पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन की अवधि पूर्ण होने पर यह पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका अग्रेत्तर संचालन पूर्णतया अवैध होगा।

XIII. पंजीकृत किये गये कक्षों से अधिक कक्षों का संचालन किये जाने तथा संस्तुत की गयी दैनिक किराये की दर से अधिक किराया वसूल किये जाने की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XIII. समस्त सुसंगत नियम/अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियम विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पंजीयन की स्थिति में किसी शिकायत अथवा वाद की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XIV. योजनान्तर्गत पंजीकरण से सम्पत्ति के स्वामित्व का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XV. पुलिस वैरीफिकेशन के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

XVI. योजना के प्रदर्शित किये जाने वाले साइनबोर्ड पर होम स्टे लिखना अनिवार्य होगा।

दिनांकः 25 फरवरी 2019

(के0 एस0 रावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

III- 10/2016

PART SITE PLAN OF GOEL SADAN, DUGGAL VILLA ROAD, MUSSOORIE

OWNER SH. CHANDER BHAN GOEL 'B'

WILL BY : SH. CHANDER BHAN GOEL

TOTAL COVERED AREA : 1489.75 SQ.FT OR 138.45 SQ.MT. (INCLUDING G/F, B/F-1 & B/F-2) IN BLUE COLOR TO MR. SANDEEP GOEL

TOTAL COVERED AREA : 1489.75 SQ.FT OR 138.45 SQ.MT. (INCLUDING G/F, B/F-1 & B/F-2) IN RED COLOR TO MR. SACHIN GOEL

OPEN LAND : 3008.0 SQ.FT OR 279.55 SQ.MT IN BLUE TO MR. SANDEEP GOEL

OPEN LAND : 3008.0 SQ.FT OR 279.55 SQ.MT IN RED TO MR. SACHIN GOEL

M… - 5

NAGAR PALIKA PARISHAD

City Board Mussoorie

RECEIPT

Book No. 512

Receipt No. 93

MUNICIPALITY..........

Demand Register No. [illegible]

Received from..........

Rupees (in words) [illegible]

On account of आठ सौ रुपये मात्र

Premises No. [illegible]

for the period [illegible]

in full/part Payment of demand bill No. .... Dated..........

…ed.......... [illegible]/1/2019

H.T. ....

W.C./Rents/etc. 800/-

Total Rs. 800/-

Executive Officer..........

Tax Collector..........

Clerk incharge of demand and collection- 800/-

Register..........

Tax Superintendent..........

Cashier.......... Accountant..........

कार्यालय (कर विभाग) नगर पालिका परिषद, मसूरी, (जिला : देहरादून)

नोटिस 2869(ए)/कर दिनांक 25-02-2019/कर दिनांक..............................

क्षेत्र/सूची क्रमांक..............................

मृत्यु प्रमाण पत्र
शपथ पत्र एवं
विरासत नामा

1- श्री (1) सन्दीप गोयल S/o स्व. चन्द्रभान गोयल

2- श्री (2) सन्दीप गोयल S/o स्व. चन्द्रभान गोयल
R/o गोयल सदन दुग्गल विला रोड लाइब्रेरी रोड मसूरी

3- श्री (3) श्रीमती प्रेम गोयल W/o स्व. सूरज प्रकाश गोयल

4- श्री R/o गोयल सदन दुग्गल विला रोड लाइब्रेरी मसूरी

....

आपको यू०पी० म्युनिसिपैलिटिज एक्ट 1916 की धारा-147 की उप धारा (2) के अधीन एतद् नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, मसूरी ने, भवन और भूमि सम्पत्ति मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची मे क्षेत्र सं०......644/4......मोहल्ला......
..............................मे स्थित भवन/भूमि......गोयल सदन दुग्गल विला मे लाइब्रेरी
....

....

सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नांकित संशोधन और परिवर्तन करने का निश्चय किया है।

(क) उक्त सम्पत्ति को प्रवृष्टि मूल्यांकन एवं कर का निर्धारण सूची में की जाय और इस सम्पत्ति में आपका नाम स्वामी के रूप में अंकित किया जाय तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य रु०......6500/=......तथा वार्षिक भवन और भूमि कर रु०......975/=
निर्धारित किया जाय।

(ख) उक्त सम्पत्ति का पूर्व में हुआ गलत मूल्यांकन या कपट, मिथ्या - व्ययदेशन या त्रुटि के कारण पूर्व में किए गए गलत मूल्यांकन में निर्धारित वार्षिक रु०..............................में वृद्धि करके वार्षिक मूल्य रु०..............................तथा वार्षिक भवन और भूमि कर और रु०..............................निर्धारित किया जाय।

(ग) उक्त सम्पत्ति में किए गए परिवर्तन परिवर्द्धन के कारण पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य रु०..............................में वृद्धि करके वार्षिक मूल्य रु०..............................तथा वार्षिक भवन और भूमि कर रु०..............................निर्धारित किया जाय

(घ) (1) उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकार का अंतरण हो जाने के कारण मूल्यांकन सूची में अंकित स्वामी श्री..............................
..............................के स्थान पर अन्तरिती श्री..............................का
नाम स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) उक्त सम्पत्ति के स्वामी......स्व. चन्द्रभान......की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारी या अन्य रूप से इस सम्पत्ति में उनके अधिकारों के उत्तराधिकारी श्री..............................
..............................का नाम स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाय।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में यदि आपको कोई आपत्ति हो तो स्पष्ट तर्क संगत तथ्यों सहित अपनी आपत्ति लिखित रूप में इस नोटिस को तामिल के दिनांक से एक माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले दिनांक के अगले दिन या उसके बाद संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण (जैसी भी स्थिति हो) का अधिप्रमाणिकरण कर दिया जायेगा। स्केवेन्जिग टैक्स आदि करों का निर्धारण भी उक्त निर्धारण वार्षिक मूल्य पर किया जायेगा।

for अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी